राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1770/2025

मेघा राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Akelia, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.एस. भारद्वाज, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय, लेवल द्वितीय (गणित) के पद पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, सैय्यदों की ढाणी, रूण ब्लॉक मुण्डवा, जिला नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.10.2008 को हुई थी और उसे जिला नागौर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को विद्यालय क्रमोन्नत होने पर उसे महात्मा गांधी विद्यालय में समायोजित किया गया और तब से अपीलार्थी संतोषजनक सेवायें दे रही है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2024 के द्वारा उसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अकेलिया, नागौर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सैय्यदों की ढाणी, लूण किया गया है। जबकि उसी गांव में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के कई पद

रिक्त हैं, फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम 289 राजस्थान पंचायती राज नियम के विरूद्ध जाकर किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि आलोच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी ने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। आदेश की पालना की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। चूंकि अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया है, ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन संबंधित विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष